तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
	आराजी के विभाजन में प्रत्येक सहखातेदार आवश्यक एवं उचित पक्षकार होता है। अतः वकील वादीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि तदनुसार आवश्यक प्रा० पत्र प्रस्तुत करें। पत्रा० आइंदा दिनांक 6/12/24 को पेश हो।	
17/11/24 गंगाराम वादी Id. Adv.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी मय वादी गंगाराम ने एक प्रा०पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर वादपत्र परिये विड्रॉल करने बाबत का पेश किया गया जि. हो उक्त प्रा० पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज तलब की गई। वकील वादी ने उक्त प्रा० पत्र मे कथन किया है की उपरोक्त अदालत के प्रकरण की पत्रा० वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 6/12/2024 को नियत है। वादपत्र मे वादी एवं प्रति० एक ही गांव समाज के होने से आपसी समझ समझाइश व मौजिज लोगों की समझाइश से आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। पश्चात अब वादपत्र मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा प्रस्तुत वाद परिये विड्रॉल आज ही निस्तारित करवाने की अरजगुजा की है। वकील प्रतिवादी ने प्रा० पत्र वास्ते परिये विड्रॉल बाबत खारिज नहीं करने बाबत का पेश किया गया। जि. हो। दौरान पत्रावली का अवलोकन किया, प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत वाद मे किसी तरह का [illegible] प्रस्तुत नहीं किया है। सि. प्र. सं. 1908 के O23 R1(1) का अ[illegible] किया जाना। O23 R1(1) मे वाद के प्र[illegible] में निम्न प्रावधान है- "वाद संस्थित किए [illegible] पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा" अतः वादीगण अधिवक्ता की प्रार्थना अनुसार वादी का वाद परिये विड्रॉल खारिज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madh
Seenver
Date: 2022.01.20 17:00:
Reason: SelfAttested

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक मे वादी का वाद पर्याप्त [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसला शुमार होकर नम्बर से काटी जाय बाद दाखिल दफ्तर होवे। [illegible] जाता है। मि०	

Signature Not Ver
Digitally signed by Ma
Seenver
Date: 2022.01.20 17:0
Reason: SelfAttested